



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :- 0771-4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in

Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक-56/रेरा/2021/900

रायपुर, दिनांक 28/04/2021

// परिपत्र //

विषय :- जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक की अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन करने की अवधि में विस्तार के संबंध में।

संदर्भ :- प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, रायपुर दिनांक 28/09/2018।

—00—

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 सहपठित धारा-11 अंतर्गत छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। तत्संबंध में जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक की अवधि हेतु बिना किसी विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2021 है। परन्तु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर द्वारा विभिन्न दिनांकों को जारी किये गये आदेशों के माध्यम से दिनांक 09 अप्रैल, 2021 से दिनांक 05 मई, 2021 तक संपूर्ण रायपुर जिले को कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ रेरा का कार्यालय भी दिनांक 10 अप्रैल, 2021 से दिनांक 05 मई, 2021 तक बंद है। छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों में भी लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण रियल एस्टेट प्राजेक्ट्स संबंधी सभी कार्य विपरीत रूप से प्रभावित हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्राधिकरण द्वारा बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अवधि में विस्तार करते हुये भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-37 अंतर्गत निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु निर्धारित तिथि 30 अप्रैल, 2021 में 2 माह का विस्तार करते हुये बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 निर्धारित की जाती है। उक्त दिनांक पश्चात् त्रैमासिक अद्यतन किये जाने की स्थिति में विलंब शुल्क यथावत देय होगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
सदस्य
28/04/2021

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.